vè;k; 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारंभ और लागू होना

1. कारा अधिनियम, 1894 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार कारा हस्तक, 1925 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, बिहार राज्य में काराओं के प्रशासन हेतु निम्नलिखित हस्तक बनाती हैः–

- i यह हस्तक बिहार कारा हस्तक 2012 कहा जा सकेगा।
- ii इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा यह राज्य के सभी काराओं पर लागू होगा
- iii काराओं, इसके कर्मचारीवृंद (स्टाफ), सभी तरह के बंदियों तथा विधि की निवारक धाराओं के अधीन नजरबंदों का प्रशासन और प्रबंधन इन नियमों द्वारा शासित होगा
- iv यह तुरंत प्रवृत्त होगा तथा राज्य सरकार द्वारा कारा के प्रशासन से संबंधित विषयों पर निर्गत कोई विद्यमान आदेश, निदेश अथवा अधिसूचना में अन्तर्विष्ट अथवा निर्दिष्ट किसी असंगत अथवा प्रतिकूल नियमों पर यह अभिभावी होगा।

अधिनियम, नियम और विनियम

2. निम्नलिखित परिनियम जिनमें बाद में होनेवाले संशोधन तथा यथास्थिति तत्संबंधी नियम शामिल है, का प्रभाव काराओं की स्थापना एवं प्रबंधन, इसमें व्यक्तियों के संसीमन और उपचार तथा इनके बीच अनुशासन बनाए रखने पर होगा :–

- i. भारतीय दंड संहिता, 1860
- ii. कारा अधिनियम, 1894
- iii. बंदी अधिनियम, 1900
- iv. बंदी पहचान अधिनियम, 1920
- v. बंदी अंतरण अधिनियम, 1950
- vi. बंदी (न्यायालय में उपस्थिति) अधिनियम, 1955
- vii. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- viii. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
- ix. दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908
- x. बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003
- xi. कारखाना अधिनियम, 1948
- xii. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- xiii. बोर्स्टल अधिनियम (बिहार), 1961

xiv. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

xv. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2002

xvi. किशोर न्याय (देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

xvii. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958

xviii. भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959

xix. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005

xx. बिहार मुक्त कारागार नियमावली, 2008

xxi. बिहार बंदी (पैरोल) नियमावली, 1973

xxii. बिहार वित्तीय नियमावली, 2005

xxiii. बिहार कोषागार संहिता (संशोधित), 2011

xxiv. सेवा का अधिकार नियमावली, 2011

xxv. अन्य लघु नियम

3. इस हस्तक के उपबंधों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कारा के वित्त एवं प्रशासन से संबंधित विषय पर निर्गत सुसंगत आदेश/नियमावली/अधिनियम तथा कारा प्रशासन पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों को भी समुचित रूप से संकलित किया जाएगा और उसमें शामिल किया जायेगा।

ध्यातव्यः–''बिहार कारा हस्तक, 2012'' के हिन्दी संस्करण में प्रयुक्त शब्दों/अवधारणाओं/निदेशों/अनुदेशों/प्रावधानों आदि की विवेचना में जब कभी/जहां कहीं भी इसके अंग्रेजी संस्करण "Bihar Prison Manual, 2012" से भिन्नता, विरोधाभास अथवा संशय की स्थिति उत्पन्न हो, तो तत्संबंधी सम्यक निराकरण हेतु इस हस्तक के अंग्रेजी संस्करण यथा "Bihar Prison Manual, 2012" के शब्दों/शब्दावली/व्याख्या को ही मान्यता दी जाएगी।